न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 140 / 2018

1 अमर सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 लोकपाल सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)
2 भुजपाल सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)
4 उप पंजीयक महोदय उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 20.09.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी अमर सिंह बनाम लोकपाल सिंह वगैरह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 266 / 2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री अभिषेक सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री झाबर सिंह , अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 6.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 266/2018 में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने ग्राम पौंख तहसील उदयपुरवाटी की भूमि खसरा नम्बर 2234, 2340/2234 के संदर्भ में वाद एवं धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 212 दर्ज कर दिनांक 20.09.2018 को एकपक्षीय स्थगन जारी कर रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश दिए। इससे व्यथित होकर प्रार्थी अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि पक्षकारों के मध्य धारा 212 का अंतिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। विचाराधीन आदेश से विचारण न्यायालय ने केवल रिकार्ड की यथास्थिति की है। धारा 212 के अन्तिम निस्तारण तक विवादित भूमि की भौतिक मौके की यथास्थिति के आदेश प्रदान किये जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि धारा 212 का अंतिम निस्तारण विचारण न्यायालय में सुनवाई के उपरांत किया जाना शेष है। अपीलांट रिकार्डेड खातेदार नहीं है। विधि अनुसार रिकार्डेड खातेदार को उसकी खातेदारी की भूमि के उपयोग—उपभोग से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। अपील अंतरिम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

आदेश के विरूद्ध है। अतः अपीलांट इस स्तर पर किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जा सकता है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 212 का अंतिम निस्तारण विचारण न्यायालय में सुनवाई के उपरांत किया जाना शेष है। अपीलांट रिकार्डेड खातेदार नहीं है। विधि अनुसार रिकार्डेड खातेदार को उसकी खातेदारी की भूमि के उपयोग–उपभोग से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध है। अतः अपीलांट इस स्तर पर किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प अजमेर)